रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102025-266870
CG-DL-E-11102025-266870

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947
No. 665] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

फा. सं. रा.के.वि.वि./आर/एफ.168/2025/1696 - केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की धारा 27 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की संविधि में संशोधन हेतु निम्नलिखित संविधि बनाती है, नामतः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन संविधियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधि (राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु), 2025 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी ।

2. **केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संविधि (राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु) में, -**

(i) संविधि में नामतः निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं –

मौजूदा संविधि 40 में संशोधन

मौजूदा संविधि में संशोधन का प्रस्ताव	
संविधि 40 – विभागाध्यक्षों की नियुक्ति	
मौजूदा	**संशोधित**
(क) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा, जिसे कुलपति द्वारा विभाग के प्रोफेसरों में से वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। बशर्ते कि यदि किसी विभाग में एक ही प्रोफेसर हो, तो विभागाध्यक्ष की नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर प्रोफेसर और सबसे वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर में से की जाएगी। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है, तो विभागाध्यक्ष की नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसरों में से की जाएगी। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, तो संबंधित स्कूल का डीन उस विभाग का प्रमुख होगा।	(क) प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख होगा, जिसे कुलपति द्वारा विभाग के प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों में से वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। बशर्ते कि यदि किसी विभाग में केवल एक या कोई प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, तो विभागाध्यक्ष की नियुक्ति प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों में से की जाएगी, जिनके पास कम से कम 8 वर्ष का विश्वविद्यालय स्तर का अनुभव हो, वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर। इसके अलावा, यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर नहीं है, जिसके पास कम से कम 8 वर्ष का विश्वविद्यालय स्तर का अनुभव हो, तो संबंधित स्कूल का डीन उस विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा।

नोट:- संविधि 40 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के साथ संलग्न अनुसूची के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र संख्या 25/2009 में दिनांक 20 मार्च, 2009 को प्रकाशित किया गया।

अमरदीप शर्मा, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./399/2025-26]

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

F. No. CURAJ/R/F.168/2025/1696 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 read with sub-section (2) of the Section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council of Central University of Rajasthan with the approval of the Visitor, hereby makes the following Statutes to amend the Central University of Rajasthan Statutes, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These Statutes may be called as the Central Universities (Amendment) Statutes (for Central University of Rajasthan), 2025

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the Central Universities' Statutes (for Central University of Rajasthan), -**
   (i) the following Statute shall be amended, namely:-

AMENDMENT TO THE EXISTING STATUTE 40

PROPOSAL FOR AMENDMENTS TO THE EXISTING STATUTES	
Statute 40 – Appointment of Heads of Department	
Existing	**After amendment**
(a) Each Department shall have a Head who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department on the basis of rotation in order of the seniority. Provided that if a Department has only one Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor by rotation in the order of seniority. Provided further that if a Department has no Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Associate Professors on the basis of rotation in order of seniority. Provided further that if there is no Professor or an Associate Professor, in a Department, the Dean of the School concerned shall act as the Head of that Department.	(a) Each Department shall have a Head who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst **the Professors and the Associate Professors** of the Department on the basis of rotation in order of the seniority. Provided that if a Department has only **one or no Professor/ Associate Professor**, the Head of the Department shall be appointed from amongst the **Professor/ Associate Professor and the Assistant Professors having atleast 8 years of university level experience** by rotation in the order of seniority. Provided further that if there is **no Professor or Associate Professor or the Assistant Professor having atleast 8 years** of university level experience, in a Department, the **Dean of the School concerned shall act as the Head of that Department.**

Note:- The Statute 40 was published along with the Central Universities Act, 2009 as a Schedule annexed to that Act, which was published in the Gazette of India, No. 25 of 2009 dated 20th March2009.

AMARDEEP SHARMA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./399/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA